सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 452 | 27 ज्येष्ठ 1930 शकाब्द
रांँची, मंगलवार, 17 जून, 2008

जल संसाधन विभाग

संकल्प

14 जून, 2008

संख्या-01/पी०एम०सी०/विविध/266/07-673--मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार की अध्यक्षता में मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर परिक्षेत्राधीन कनहर जलाशय परियोजना के निर्माण पर छत्तीसगढ़ राज्य की सहमति प्राप्त करने हेतु एक उच्चस्तरीय समिति का गठन निम्न रूप में किया जाता है :-

1. मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार	-	अध्यक्ष
2. श्री घूरन राम, माननीय सांसद पलामू	-	सदस्य
3. श्री हेमेन्द्र प्रताप देहाती, पूर्व मंत्री, झारखण्ड सरकार	-	सदस्य
4. श्री गिरिनाथ सिंह, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा	-	सदस्य
5. श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा	-	सदस्य
6. सचिव, जल संसाधन विभाग	-	सदस्य सचिव
7. सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	-	सदस्य
8. सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग	-	सदस्य
9. सचिव, योजना विभाग	-	सदस्य
10. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, रांँची	-	सदस्य
11. प्रमंडलीय आयुक्त, पलामू	-	सदस्य
12. अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग, रांँची	-	सदस्य
13. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर	-	सदस्य

कनहर बहुद्देशीय जलाशय परियोजना कनहर नदी पर गढ़वा जिला के चिनिया प्रखण्ड के ग्राम बाराडीह पर प्रस्तावित है जिसके लिये वर्ष 1982 में तत्कालीन बिहार, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के बीच जल बंटवारा का समझौता हो चुका है । उस समय छत्तीसगढ़ सरकार की सैद्धान्तिक सहमति

भी कनहर परियोजना पर प्राप्त थी कतिपय कारणों से परियोजना का निर्माण नहीं हो सका । अब डूब क्षेत्र में आबादी की बढ़ोत्तरी हो जाने के कारण छत्तीसगढ़ सरकार अपेक्षाकृत कम ऊँचाई के बांध का निर्माण चाहती है ।

समिति छत्तीसगढ़ सरकार से वार्त्ता कर कनहर परियोजना के महत्त्व से उन्हें अवगत कराएगी एवं बांध की ऊँचाई दोनों राज्यों की सहमति से निर्धारित कराएगी । साथ ही साथ परियोजना निर्माण पर छत्तीसगढ़ की सहमति के विन्दु एवं शर्त्तो (यथा लाभ का बॅटवारा, पुनर्वास पर व्यय) को अन्तिम रूप दिलाकर दोनों राज्यों के बीच एक समझौते का मार्ग प्रशस्त करेगी । उपर्युक्त कार्य हेतु समिति दोनों राज्य सरकारों के बीच विभिन्न स्तरों पर राँची एवं रायपुर में वार्त्ता का आयोजन करवाएगी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार झा,

सरकार के संयुक्त सचिव (प्र०) ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 452--300+200 ।